

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-102 वर्ष 2017

1. अजय कुमार सिन्हा, पे0-गोपाल प्रसाद, निवासी ग्राम-नामधारी कॉलोनी, डाकघर-डाल्टनगंज, थाना-डाल्टनगंज, जिला-पलामू
2. नीलकण्ठ प्रसाद साहू, पे0-स्वर्गीय धनेश्वर साहू, निवासी ग्राम-कुलगड़ा, डाकघर-रिचुघुटा, थाना-लातेहार, जिला-लातेहार
3. सुजीत प्रसाद, पे0-मथुरा प्रसाद, निवासी ग्राम-सुकरी, डाकघर-पोकरा, थाना-लातेहार, जिला-लातेहार
4. सुनील कुमार, पे0-सोराथ राम, निवासी ग्राम-कुरा, थाना-लातेहार, जिला-लातेहार

..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य, सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, जिला-रांची के माध्यम से
2. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण, परियोजना प्रबंधन और इकाई, डोरंडा, डाकघर और थाना-डोरंडा, जिला-रांची
3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, लातेहार, डाकघर एवं थाना-लातेहार, जिला-लातेहार
4. जिला कल्याण अधिकारी, लातेहार, डाकघर एवं थाना-लातेहार, जिला-लातेहार
5. संयुक्त सचिव, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, जिला-रांची
6. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, जिला-रांची
7. अधीक्षण अभियंता, मेदिनीनगर, डाकघर एवं थाना-मेदिनीनगर, जिला-पलामू

8. कार्यपालक अभियंता, पेयजल और स्वच्छता विभाग—सह—सदस्य सचिव, डी0डब्ल्यू0 और एस0सी0, लातेहार, डाकघर एवं थाना—लातेहार, जिला—लातेहार

..... उत्तरदातागण

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर

याचिकाकर्ताओं के लिए :-

श्री चंद्र शेखर पाण्डेय, अधिवक्ता  
श्री रमेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता—राज्य के लिए :-

श्रीमती सी0 प्रभा, एस0सी0—IV  
श्री रोहित, एस0सी0—IV के जे0सी0

6/10.04.2017 याचिकाकर्तागण प्रखंड समन्वयक और सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक थे।

2. ' याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि पहले भी वे प्रतिवादी—पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत काम कर रहे थे। "स्वच्छ भारत मिशन" के तहत उपरोक्त पद के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार, वे लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, हालांकि, अंतिम मेरिट—सूची में उनका नाम नहीं था। केवल याचिकाकर्ता संख्या 2 को प्रखंड समन्वयक की प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिन याचिकाकर्ताओं के पास विज्ञापन के अनुलग्नक—2 के तहत अपेक्षित योग्यता है, उन्हें वेटेज दिया जाना चाहिए था।

3. यह निवेदन अस्वीकार करने लायक है। एक बार लिखित परीक्षा द्वारा उम्मीदवार के चयन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है और विज्ञापन उन उम्मीदवारों को किसी भी तरह का अधिमान देने का खुलासा नहीं करता है, जिन्होंने पहले

विभाग के अधीन काम किया था, योग्यता-सूची को योग्यता के अनुसार सख्ती से तैयार किया जाना आवश्यक है और अन्यथा नहीं। याचिकाकर्ता, जो मेरिट-लिस्ट में नहीं आ सके थे, केवल इस आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते कि उनके पास विभाग के अपेक्षित अनुभव है।

4. रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलने पर, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)